न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/257

1. भैरूलाल आत्मज स्व0 रामचन्द्र जी जाति माली ।
2. पप्पूलाल आत्मज स्व0 रामचन्द्र जी जाति माली ।
3. दुर्गालाल आत्मज स्व0 रामचन्द्र जी जाति माली निवासीगण पीपली चौराया नान्ता तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. भरोसी बाई पत्नी गोरधन जी जाति माली निवासी ग्राम नया बरधा तहसील तालेडा जिला बून्दी।
5. जमना बाई पत्नी मोहन ली जाति माली निवासी पीपली चौराहे के पास नान्ता तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. कैलाश बाई पत्नी रामभरोस जाति माली निवासी महिला कुआ के पास नान्ता तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. मसरूल हसन आत्मज हाजी मोहम्मद यासीन जाति मुसलमान निवासी गजरोला शिवा जिला बिजनौर (उत्तर प्रदेश) ।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रूपेश श्रृंगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से
2. श्री अब्दुल वहीदखॉ, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 1 की ओर से ।
3. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 2 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 01.10.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.03.2018 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम नान्ता तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नम्बर 1849 रकबा 0.50 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 1856 रकबा 0.75 हैक्टर कुल 02 किता की रकबा 1.25 हैक्टर भूमि स्थित है। उक्त भूमि में प्रार्थी का 1/7 हिस्सा निहित है तथा वह अपने 1/7 हिस्सा आराजी को उसके खाते एवं कब्जे काश्त में होने से निरन्तर एवं निर्बाध रूप से काश्त करती चली आ रही है ।

उक्त भूमि संयुक्त खाते की होने से उक्त भूमि का अभी तक पक्षकारान के मध्य विधिव विभाजन नहीं हुआ है । सहखातेदार भंवर लाल पुत्र रामचन्द्र ने अपने खाते एवं कब्जे की 1/ हिस्से की आराजी को अप्रार्थी कम 05 को बेचान कर दिया जिससे उसे पक्षकार बनाया गया है प्रार्थिया का प्रथमदृष्टया प्रकरण उसके पक्ष में है यदि अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थी के 1/7 हिस्स एवं खाते की आराजी में अकारण ही बाधा उत्पन्न की गई तो उसे अत्यधिक आर्थिक क्षति हो जिसकी पूर्ति किसी भी तरह से संभव नहीं हो सकेगी ।

3. अतः प्रार्थिया के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसल वाद जारी की जावे कि प्रार्थिया के उक्त आराजी में से खाते व कब्जे काश्त की मद संख्या 2 वर्णित 1/7 आराजी को काश्त करने में न तो स्वयं बाधा उत्पन्न करे और न ही उक्त कृ अपने किसी प्रतिनिधि से करावे । प्रार्थिया को उनके 1/7 हिस्से की आराजी को शांति पूर्व काश्त करने दें ।

4. अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों अस्वीकार करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 28.03.2018 के द्वारा प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीक किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का आदे पारित किया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.03.2018 से व्यथित हो अपीलान्ट अप्रार्थी कम 1 से 5 ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थि रेस्पोडेन्ट द्वारा वादग्रस्त आराजी में 1/7 हिस्सा निहित होना तथा अपनी 1/7 हिस्सा भूमि काश्त करना अंकित किया है जबकि वास्तविकता में प्रार्थिया का उक्त भूमि पर कभी भी कब्ज काश्त नहीं रहा है और न ही प्रार्थिया द्वारा उक्त भूमि को कभी काश्त किया गया है । प्रार्थि ने अपने प्रार्थना पत्र में यह अंकित नहीं किया है कि वह वादग्रस्त आराजी में किस खसरा नम्ब की भूमि में किस विशिष्ट हिस्से पर काबिज है । प्रार्थिया रेस्पोडेन्ट अस्थायी निषेधाज्ञा की अ में अपीलान्ट को उक्त भूमि से जबरन बेदखल कर कब्जा करने पर आमादा है जिसका उ कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीन न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.03.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहर और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थिया रेस्पोडेन्ट कम 1 का प्रार्थना पत्र स्वीक कर अपीलान्टगण को वादग्रस्त आराजी के बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने में त्रुटि है । प्रार्थिया द्वारा 1/7 हिस्सा निहित होने और उस पर काश्त किया जाना अंकित किया है जबकि वास्तव में रेस्पोडेन्ट कम 1 का वादग्रस्त आराजी पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है रेस्पोडेन्ट कम 1 ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि वह किस खसरा नम्बर पर काबिज है

अधीनस्थ न्यायालय ने अवैध रूप से अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है । एक सहखातेदार के पक्ष में दूसरे सहखाते के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.03.201 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट कम 1 के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थिया रेस्पोडेन्ट व वादग्रस्त आराजी में 1/7 हिस्सा निहित है और वह अपने हिस्से की आराजी पर काबिज काश है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक रूप से 1/7 हिस्से के लिए अप्रार्थीगण अपीलान्ट व अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनाक 28.03.2018 बहाल रखा जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट कम 2 के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट ने 1/ हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है और वह अपनी भूमि प काबिज काश्त है । सहखातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि–विरूद्ध है ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बह पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर एक फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं 2067–70 संलग्न है जिसके अनुसार नया खाता संख्या 245 कुल 02 किता की 1.25 हैक्टर भू पक्षकारों के सहखातेदारी में दर्ज है । पत्रावली पर फूला बाई के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्र संलग्न है ।

12. प्रार्थिया रेस्पोडेन्ट कम 1 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र यह कहते हुए पेश कि था कि वादग्रस्त आराजी में उनका 1/7 हिस्सा निहित है जिस पर उनका कब्जा है । उ उनके पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे । वादग्रस्त आराजी में प्रार्थिया एवं अ पक्षकारान सहखातेदार दर्ज हैं और सहखातेदारी की आराजी में एक सहखातेदार के पक्ष दूसरे सहखातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना हम उचित नहीं समझते है वैसे भी प्रार्थिया ने वादग्रस्त आराजी में किसी विशिष्ट हिस्से पर अपने कब्जे के समर्थन में व दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है । ऐसी स्थिति में प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थिया के पक्ष में नहीं पाया जाता है न ही सुविधा का संतुलन प्रार्थिया के पक्ष में है । अधीनस्थ न्यायालय प्रार्थिया के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने में विधिक त्रुटि की है । इन तथ्यों के आ पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय खारिज होने योग्य है ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अधीन न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.03.2018 निरस्त किया जाता है ।

14. निर्णय आज दिनांक 01.10.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

1/10/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा